**“**भारत में खुले शौच को समाप्त करने हेतु अभूतपूर्व प्रतिबद्धता के मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है**”** - संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ

नई दिल्ली / जेनेवा (10 नवंबर 2017) – स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से खुले शौच से मुक्ति दिशा में तेजी से होती हुई प्रगति के महत्वपूर्ण समय पर भारत की यात्रा पर आए हुए संयुक्त राष्ट्र के विशेष संवक्ता द्वारा भारत सरकार के सभी स्तरों पर जल और स्वच्छता पर अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मानवाधिकारों के दृष्टिकोण को सम्मिलित करने हेतु आव्हान किया गया।

संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता के विशेष संवक्ता ने कहा कि “मैं जहां भी गया, मैंने गांधीजी के चश्‍मे में स्वच्छ भारत अभियान को देखा। कार्यान्वयन के अपने तीसरे वर्ष में, अब वह महत्वपूर्ण समय आ गया है कि अब उन चश्‍मों को मानवाधिकार के दृष्टिकोण से देखा जाए।”

स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय योजना है, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2014 में किया गया था। अभियान का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले शौच को समाप्त करना है एवं शौचालयों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। भारत सरकार दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक "खुले में शौच से मुक्त" भारत को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। पिछले 3 वर्षों में, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही, 53 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र के संवक्ता ने अपनी यात्रा के अंतिम दिवस पर दिए गए अपने [कथन](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22375&LangID=E) में यह बल दिया कि “शौचालयों का निर्माण केवल खुले में शौच को समाप्त करने के बारे में नहीं है, किंतु उनकी मानसिकता में परिवर्तन में लाया जाना आवश्‍यक है एवं कम लागत वाले शौचालयों के स्थायी और सुरक्षित उपयोग के लिए पर्याप्त जलापूर्ति एक पूर्व-आवश्यकता है”।

“शौचालयों के निर्माण पर भारत सरकार का बल सभी के लिए पेयजल के प्रावधान के ध्यान के ऊपर ही केंद्रित नहीं होना चाहिए एवं इसे दूसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने में अनैतिक रूप से योगदान नहीं करना चाहिए, जैसे कि विशिष्ट जातिगत-समूह सफ़ाई कार्यों में लगे हुए हैं, या जिन्हें अल्पसंख्यक और दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के रूप में अधिकारहीन रखा गया है।”

जल एवं स्वच्छता के अधिकार पृथक, किन्तु अविभाज्य हैं। जैसे जल और स्वच्छता की सेवाएं एक से दूसरे तक जाती हैं, जल और स्वच्छता के पहुंचने के अधिकारों को एक ही पैकेज के रूप में देखा जाना चाहिए।

विशेष संवक्ता ने कहा कि “वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सशक्त विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को उन घरों तक स्वच्छता सुविधाएं एवं सुरक्षित तथा निरंतर पेयजल प्रदान किए जाने की आवश्‍यकता है।“

श्री हेलर ने 27 अक्टूबर से 10 नवंबर 2017 तक सरकार के निमंत्रण पर भारत का दो सप्ताह का आधिकारिक दौरा किया। उन्होंने केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार के प्रतिनिधियों के साथ-साथ नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों से भी भेंट की।

उन्होंने दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता और इम्फाल का भी दौरा किया और अनेक रहवासियों से आवश्यक जल और स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच के बारे में विमर्श किया।

विशेष संवक्ता द्वारा माह सितंबर-2018 में मानवाधिकार परिषद में अपने निष्कर्षों और अनुशंसाओं का संपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

***-समाप्त-***

***श्री लियो हेलर*** *(ब्राजील),* [*सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के लिए मानव अधिकारों*](https://www.ohchr.org/SRwaterandsanitation) *पर नवंबर-2014 में नियुक्त विशेष संवक्ता हैं। वह ब्राजील के ओस्वाल्डो क्रूज़़ फ़ाउंडेशन में शोधकर्ता हैं एवं इससे पहले ब्राजील के मिनास गैरेस के संघीय विश्वविद्यालय में वर्ष 1990 से 2014 के दौरान स्वच्छता एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी विभाग के प्राध्यापक थे।*

*विशेष संवक्ता, मानव अधिकार परिषद की विशेष प्रक्रियाओं का हिस्सा होते हैं। विशेष प्रक्रियाएं, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रणाली में स्वतंत्र विशेषज्ञों का सबसे बड़ा समूह है, परिषद की स्वतंत्र तथ्यान्वेषी और निगरानी तंत्रों का सामान्य नाम है, जो विश्व के सभी भागों में विशिष्ट देश की परिस्थितियों या विषयक समस्याओं को संबोधित करते हैं। विशेष प्रक्रियाओं के विशेषज्ञ स्वैच्छिक आधार पर कार्य करते हैं; वे संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी नहीं हैं और अपने कार्यों हेतु कोई वेतन प्राप्त नहीं करते हैं। वे किसी भी सरकार या संगठन से स्वतंत्र हैं तथा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सेवा करते हैं।*

*संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का देशीय वेब पृष्ठ -* [*भारत*](https://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/INIndex.aspx)

*अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :  
सुश्री अहरीयम ली +41 22 917 9391 /* [*ahreumlee@ohchr.org*](file:///C:/Users/Media.consultant2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MLN20MS5/ahreumlee@ohchr.org)

*संयुक्त राष्ट्र के अन्य स्वतंत्र विशेषज्ञों से संबंधित मीडिया पूछताछ हेतु कृपया संपर्क करें :*

*श्री ब्रायन विल्सन – मीडिया इकाई (+ 41 22 917 9826 /*[*mediaconsultant2@ohchr****.****org*](mailto:mediaconsultant2@ohchr.org)*)*

हम जिस विश्व में रहते हैं, क्या आप उसके बारे में चिंतित हैं। तो फिर आज ही किसी के अधिकारों के लिए खड़े हो जाएं।

#Standup4humanrights एवं  [http://www**.**standup4humanrights**.**org](http://www.standup4humanrights.org) वेबपृष्ठ पर जाएं।